ग्राम पंचायत भुक्कड़, विकास खण्ड भोरंज, जिला हमीरपुर के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.14 से 31.03.17

भाग- एक

1 **(क) प्रस्तावना :-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत भुक्कड़, विकास खण्ड भोरंज, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया I

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे :-

प्रधान :-

क्र॰ सं॰	नाम	अवधि
1	श्रीमति संतोष कुमारी	01.04.14 से 22.01.16
2	श्रीमति विजय लक्ष्मी	23.01.16 से लगातार

सचिव :-

क्र॰ सं॰	नाम	अवधि
1	श्रीमति पूजा रानी	01.04.14 से 20.06.16
2	श्री विनोद कुमार	21.06.16 से 31.03.17

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत भुक्कड़, विकास खण्ड भोरंज के लेखाओं अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	4.1	रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खाते में अन्तर	0.02
2	4.2	निर्धारित सीमा से अधिक नकद राशि का रखना	0.19
3	5	पंचायत राजस्व की वसूली हेतु शेष	0.52
4	6	शादी की पंजीकरण फीस के रूप में कम वसूली	0.02
5	7	अनुदान का उपयोग न करना	12.89
6	8	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	7.47
7	9	क्रय सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना	8.24
8	11	निर्माण सामग्री के रूप में अधिक भुगतान	0.10
9	12	बिना बिल/वाउचर के अनियमित भुगतान	0.48

10	14	निर्माण कार्यों में परिमाप राशि से अनियमित रूप में अधिक भुगतान	0.74

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत भुक्कड़, विकास खण्ड भोरंज, जिला हमीरपुर के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री संदीप कमल, अनुभाग अधिकारी एवं श्री विद्यासागर, लेखा परीक्षक **द्वारा** दिनांक 27.10.17 से 01.11.2017 तक ग्राम पंचायत कार्यालय मे किया गया I लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया I

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2014-15	06/2014	06/2014
2015-16	05/2015	05/2015
2016-17	08/2016	07/2016

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है I उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत भुक्कड़ , विकास खण्ड भोरंज, जिला हमीरपुर के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7400 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 534 (a) दिनांक 01.11.17 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में पंचायत द्वारा ड्राफ्ट संख्या 930168(KCCB) दिनांक 15.11.17 के माध्यम से उक्त राशि निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-171009 को प्रेषित कर दिया गया I

4 वितीय स्थिति :-

ग्राम पंचायत भुक्कड़, द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(1) स्वः स्त्रौत :- ग्राम पंचायत भुक्कड़, के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की स्वः स्त्रौतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	12148	129653	141801	40395	101406
2015-16	101406	16432	117838	47693	70145
2016-17	70145	34719	104864	67794	37070

(2) अनुदान :- ग्राम पंचायत भुक्कड़, के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1** में भी दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	364410	2944676	3309086	2934923	374163
2015-16	374163	3079721	3453884	3207389	246495
2016-17	246495	3609815	3856310	2566906	1289404

बैंक समाधान विवरणी :-

स्व स्त्रौत :-

दिनांक 31.03.17 को रोकड़ बहियों में अन्तिम शेष : ₹37070

अनुदान :-

दिनांक 31.03.17 को रोकड़ बहियों में अन्तिम शेष :₹1289404

स्व स्त्रौत एवं अनुदान की रोकड़ बहियों में

दिनांक 31.03.17 को अन्तिम शेष : ₹1326474

दिनांक 31.03.17 को बैंक खातों में अन्तिम शेष : ₹1305583

दिनांक 31.03.17 को हस्तगत राशि (13th FC) :₹19000

अन्तर की राशि : ₹1891/-

बैंक खाता संख्या	राशि
GEN-A, KCCB -61193	37070
13th & 14th FC, PNB -171302	941033
GEN-B, KCCB -61024	293358
TSC, PNB -185183	30947
RAY, PNB-185174	226
IAY, PNB -185165	2083
HARYALI, KCCB-53932	304
HARYALI, KCCB-53943	562
MNREGA, PNB -126524	0
कुल राशि	**₹1305583**

4.1 रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खाते में ₹ 0.02 लाख का अन्तर:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ वही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान करना अनिवार्य है । जबकि पंचायत की रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जिस कारण से दिनांक 31.03.17 को रोकड़ वही में दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार रोकड़ बही एवं बैंक के अन्तिम शेष में ₹1891 का अन्तर पाया गया अन्तर का विस्तृत ब्यौरा पैरा 4 में वर्णित है। जांच में पाया कि चैक संख्या 256676 एवं 256678 दिनांक 25.11.14 द्वारा ₹39000 आहरित करके रोकड़ बही के पृष्ठ 6 में वाउचर संख्या 51 दिनांक 25.11.14, 52, एवं 53 दिनांक

02.12.14 में वर्णित व्ययों के विवरणानुसार ₹37109/- का व्यय किया गया था एवं ₹1891 का सम्भावित दुरुपयोग किया गया था। जिस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 534 दिनांक 01.11.17 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 5 दिनांक 16.11.17 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त अन्तर ₹1891 की वसूली कर ली जाएगी। अतः वसूली करके पचायत के निधि खाते में जमा करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ एवं पंचायत की रोकड़ बहियों के शेषों से बैंक खातों के शेष के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

4.2 निर्धारित सीमा से अधिक नकद राशि का रखना :-

पंचायत की रोकड़ वहियों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा 13वें वित्त आयोग से चैक संख्या 652981 दिनांक 28.10.16 द्वारा ₹19000 आहरित की गई थी लेकिन दिनांक 31.03.17 तक यह राशि हस्तगत रूप में रखी गई थी जो कि (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10(3) (₹1000) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। अतः नियमों के विपरीत हस्तगत राशि को रखने का औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 534 दिनांक 01.11.17 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, लेकिन इस बारे कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई। अतः ₹19000 को अतिशीघ्र बैंक खाते में जमा की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ एवं भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाये।

5 पंचायत राजस्व ₹0.52 लाख वसूली हेतु शेष:-

पंचायत की स्व स्त्रौतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि दिनांक 31.3.17 को निम्न विवरणानुसार गृहकर के रूप में वसूली हेतु ₹51500 शेष थी, जिसकी वसूली करना सुनिश्चित करें।

1. गृहकर :

वर्ष	अथशेष	गृहकर की मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2014-15	0	20880	20880	0	20880
2015-16	20880	25750	46630	20880	25750
2016-17	25750	25750	51500	0	51500

2. वर्ष 2014-15 में गृह कर के रूप में ₹20880/- (522 x40) की वसूली निम्नलिखित रसीदों द्वारा माह 12/2015 से 02/2016 तक की गई थी :-

क्रम संख्या	रसीद संख्या
1	138701 से 138800
2	138801 से 138900
3	138901 से 139000
4	145001 से 145100
5	145301 से 145322
6	145701 से 145800

जांच में पाया कि उक्त वसूल की गई ₹20880 में से ₹5000 दिनांक 14.12.15 एवं ₹15000 दिनांक 11.10.17 को पंचायत के निधि खाते में जमा किए गए थे, अर्थात ₹15000 लगभग 19 माह पश्चात जमा किए गए थे । जिसे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 534 दिनांक 01.11.17 द्वारा राशि देरी से जमा करने का औचित्य स्पष्ट करने अन्यथा ₹15000/- पर उक्त अवधि के लिए दण्ड ब्याज की राशि एवं शेष ₹880 शीघ्र पंचायत निधि खाते में जमा करने हेतु कहा गया था, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 5 दिनांक 16.11.17 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त राशि पर दण्ड ब्याज ₹4162/- एवं शेष ₹880 की वसूली रसीद संख्या 145901 द्वारा करके दिनांक 15.11.17 को निधि खाता संख्या KCCB-61193 में जमा कर दी गई है, जिसकी पुष्टि भी कर ली गई थी । अतः भविष्य में इस प्रकार की गम्भीर अनियमितताओं को न दोहराया जाये ।

6 **शादी की पंजीकरण फीस के रूप में ₹0.02 लाख की कम वसूली** :-

सयुंक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग की अधिसूचना संख्या PCH-HA(1)8/2013-Marriage 8017-8110 दिनांक 28.10.16 के अन्तर्गत विवाह के 30 दिन के भीतर पंजीकरण हेतु विवाह पंजीकरण फीस ₹200 (बी.पी.एल.परिवार ₹25/-) एवं 30 दिन के उपरान्त व 90 दिन के भीतर विवाह पंजीकरण फीस ₹400/- (बी.पी.एल.परिवार ₹50/-) प्रति विवाह की दर से वसूल की जानी अपेक्षित है । जांच में पाया कि माह 11/2016 से 03/2017 तक में निम्न विवरणानुसार ₹ 2275/- पंजीकरण फीस के रूप में वसूल नहीं किए गए थे, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रौत से करना सुनिश्चित करें । विवरण निम्नलिखित है :-

विवाह पंजीकरण रजिस्टर क्रमांक संख्या	नाम	शादी की दिनांक	पंजीकरण की दिनांक	पंजीकरण राशि
52 (2016)	श्री रजनीश कुमार	02.11.16	15.11.16	200/-
53	श्री अजय कुमार	09.11.16	15.11.16	200/-
54	श्री अजय कुमार	02.11.16	15.11.16	200/-
55	श्री सुनील कुमार	02.11.16	28.11.16	200/-
56	श्री प्रवीण कुमार (BPL)	25.11.16	03.12.16	25/-
57	श्री प्रवीण कुमार	18.09.16	03.12.16	400/-
58	श्री कश्मीर सिंह (BPL)	24.11.16	07.12.16	25/-
59	श्री शशि कान्त	08.12.16	21.12.16	200/-
60	श्री शिव रत्न	16.11.16	21.12.16	200/-
1 (2017)	श्री अमन शर्मा	23.01.17	04.02.17	200/-
2	श्री सिद्धार्थ कपिला	30.11.16	06.03.17	400/-
3	श्री चुनी लाल (BPL)	17.01.17	23.03.17	25/-
		कम वसूली गई राशि		**₹2275/-**

उक्त राशि की वसूली न करने बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 534 दिनांक 01.11.17 द्वारा कहा गया था, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 5 दिनांक 16.11.17 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त ₹2275/- की वसूली कर ली जाएगी । अतः वसूली करके पचायत के निधि खाते में जमा करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ ।

7 अनुदान ₹12.89 लाख का उपयोग न करना :-

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (**परिशिष्ट-1)** के अनुसार दिनांक 31.03.17 तक अनुदान ₹1289404/- उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ- साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने बाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये।

8 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹7.47 लाख स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4), 67 (5) एवं 69 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें (निविदायें इत्यादि आमंत्रित करना) प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-2** में दिये गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹746626/- के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। अतः स्टॉक स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9 ₹ 8.24 लाख की क्रय सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69, 70 एवं 71 में क्रय की गई सामग्री के भण्डार रजिस्टर में इन्द्राज करने, जारी करने एवं भण्डारण संबन्धित औपचारिकतायें प्रावधित है। जांच में पाया कि अंकेक्षण अवधि में पंचायत द्वारा भण्डार रजिस्टर का रख-रखाव नहीं किया गया था जिससे क्रय सामग्री की सत्यता की जांच नहीं की जा सकती। चयनित माहों के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि परिशिष्ट-3 में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹824109 की क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में नहीं किया गया था, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का इन्द्राज नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये समस्त क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में करना सुनिश्चित करें।

10 निर्धारित बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार / अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा वर्ष 2014-15 में ₹40395 एवं वर्ष 2015-16 में किए गए व्यय ₹47693/- अनियमित थे। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये उक्त व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति उपरान्त नियमित

करवाना सुनिश्चित करें एवं भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाये ।

11 निर्माण सामग्री की खरीद पर ₹0.10 लाख का अधिक भुगतानः-

13 वें वित्त आयोग के वाउचर संख्या 11 दिनांक 16.05.14 की जांच में पाया कि निर्माण कार्य " नि. शमशान घाट, वैरी" के लिए मैसर्ज मनोज कुमार से ₹17600/- की निर्माण सामग्री का क्रय किया गया था जबकि भुगतान निम्न-विवरणानुसार आपूर्तिकर्ता को ₹27727/- का कर दिया गया था, अर्थात ₹10127/- का अनियमित रूप में अधिक भुगतान कर दिया गया था :-

क्रम संख्या	वाउचर संख्या	रोकड़ वही पृष्ठ संख्या	राशि
1	वाउचर संख्या 11 दिनांक 16.05.14	49 / 16.05.14 (चैक संख्या- 254316)	3257/-
2	वाउचर संख्या - दिनांक 31.05.14	50 / 31.05.14 (चैक संख्या- 254317)	14343/-
3	वाउचर संख्या - दिनांक 20.01.15	80 / 20.01.15 (चैक संख्या- 652047)	10127

उक्त अनियमित भुगतान बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 534 दिनांक 01.11.17 द्वारा कहा गया था, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 5 दिनांक 16.11.17 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त ₹10127/- की वसूली रसीद संख्या 145902 द्वारा करके दिनांक 07.11.17 को निधि खाता संख्या KCCB-61193 में जमा कर दी गई है, जिसकी पुष्टि भी कर ली गई थी । अतः भविष्य में इस प्रकार की गलती को न दोहराया जाये ।

12 बिना बिल/वाउचर ₹0.48 लाख का अनियमित भुगतान

जांच में पाया कि निम्नलिखित भुगतान विभिन्न तिथियों को पंचायत निधि से किये गये थे लेकिन इन भुगतानों से संबन्धित अभिलेख आवश्यक जांच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे इन भुगतानों की सत्यता की पुष्टि नहीं हो सकी । अभिलेख उपलब्ध न करवाना पंचायती राज वित नियम 2002 के नियम 47(1)(2) की भी स्पष्ट अवहेलना है । अतः अभिलेख प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा ₹47915/- के अनियमित व्यय की वसूली उचित स्त्रौत से करके पंचायत निधि मे जमा करने के उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ । भुगतानों का विवरण निम्नलिखित है:-

क्र.सं.	निधि का नाम	वाउचर संख्या / दिनांक	राशि
1.	**13th FC Cash Book**	Vr. No. 15/1 Dated 23.06.14, Withdrawl on 23.06.14 (CBP-52) from account No. PNB-171302 vide Cheque No. 256101 Dated 23.06.14	5850.00
2.	-do-	Vr. No. 15/1 Dated 23.06.14, Withdrawl on 23.06.14 (CBP-52) from account No. PNB-171302 vide Cheque No. 256101 Dated 23.06.14	340.00
3.	**Haryali Cash Book**	Vr. No. 1 Dated 10.09.14, Withdrawl on 10.09.14 (CBP-43) from account No. KCCB-53932	11725.00
4.	-do-	Vr. No. 2 Dated 08.01.15, Withdrawl on 08.01.15	18275.00

		(CBP-43) from account No. KCCB-53932	
5.	-do-	Vr. No. 3 Dated 15.01.15, Withdrawl on 15.01.15 (CBP-43) from account No. KCCB-53943	11725.00
कुल राशि			**₹47915.00**

13 निर्माण सामग्री का क्रय अनुमोदित दरों से अधिक दरों पर करने के फलस्वरूप ₹410/- की हानि :-

जांच में पाया कि वर्ष 2016-17 में निर्माण सामग्री के क्रय हेतु प्रस्ताव संख्या-3 दिनांक 07.07.16 द्वारा रेत क्रशर की दर ₹36.50/- प्रति क्यूबिक फीट अनुमोदित की गई थी, लेकिन चयनित माहों के व्यय से संबन्धित अभिलेखों की जांच में पाया कि निम्नलिखित सामग्री का क्रय अनुमोदित दरों से अधिक दरों पर किया गया था जिस बारे स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रौत से करना सुनिश्चित करें एवं चयनित माह के अतिरिक्त अन्य माहों में अधिक दरों पर क्रय करने के फलस्वरूप पंचायत को हुई हानि की गणना अपने स्तर पर करके उसकी वसूली उचित स्त्रौत से करना सुनिश्चित करें।

क्र०सं	**वाउचर संख्या**	**बिल का विवरण**	**सामग्री का विवरण एवं भुगतान की गई राशि**	**अनुमोदित दरों के अनुसार भुगतान योग्य राशि**	**अधिक भुगतान**
	General Cash Book				
1	7 दिनांक 08.07.16	Bill No. 1 Dated -, M/s Manish Chauhan	Sand 340 CFT @ ` 37/-P.CFT	Sand 340 CFT @ ` 36.50/-P.CFT	170/-
2	8 दिनांक 08.07.16	Bill No. 4 Dated -, M/s Manish Chauhan	Sand 140 CFT @ ` 37/-P.CFT	Sand 140 CFT @ ` 36.50/-P.CFT	70/-
3	15 दिनांक 29.07.16	Bill No. 2 Dated -, M/s Manish Chauhan	Sand 340 CFT @ ` 37/-P.CFT	Sand 340 CFT @ ` 36.50/-P.CFT	170/-

14 निर्माण कार्यों में परिमाप राशि (Assessment value) से ₹0.74 लाख का अनियमित रूप में अधिक भुगतान:-

जांच में पाया कि मनरेगा के निम्नलिखित कार्यों में परिमाप राशि से ₹73786/- का अधिक भुगतान कर दिया गया था। FTO द्वारा इन कार्यों में किए गये व्ययों का विवरण **परिशिष्ट-4** में दिया गया है। परिमाप राशि से अधिक भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रौत से करना सुनिश्चित करें। पंचायत में बही खातों का रख-

रखाव न होने के कारण इन कार्यों पर किए गये कुल व्ययों का पता नहीं चल सका। अतः यदि परिशिष्ट में दिये गये व्ययों के अतिरिक्त इन कार्यों में कोई अन्य व्यय किये गये थे, तो उनकी वसूली भी उचित स्त्रौत से करना सुनिश्चित करें।

कार्य का नाम	परिमाप राशि (Assessment Value)	कार्य पर कुल व्यय	अनियमित भुगतान	माप पुस्तिका /पृष्ठ
C/O Protection work near land of Sunita Devi to Tara Chand Field.	115069/-	141500/-	26431/-	7721/56
C/O Protection work near land of Sanjeev Kumar ward-3.	88341/-	101178/-	12837/-	7721/83
C/O Protection work Ratan Chand field to Kanshi Ram	116056/-	150574/-	34518/-	7721/85

15 खाता बहियाँ तैयार न करना :-

जांच में पाया कि पंचायत में वर्ष 2014-15 से 2016-17 में खाता बहियाँ तैयार नहीं की गई थी जबकि पंचायती राज वित्त नियम 29(1) के अन्तर्गत प्ररूप-7 व वित्त नियम-4 के अनुसार खाता वहियाँ तैयार करना अपेक्षित थी। जिनके अभाव में इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी कि किसी विशेष कार्य हेतु कितनी राशि प्राप्त की गई, कितनी राशि व्यय की गई थी एवं कितनी राशि शेष थी। अतः खाता बहियाँ तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट करें एवं नियमों के अनुसार खाता बहियाँ तैयार करना सुनिश्चित करें।

16 विहित रजिस्टरों का रख रखाब न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाब नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपतिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

1. अनुदान रजिस्टर
2. यात्रा भत्ता बिल का जांच पड़ताल रजिस्टर।
3. गृहकर रजिस्टर का उचित रख-रखाव न करना।
4. अग्रिम रजिस्टर तैयार न करना।
5. रसीद बुकों का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना।
6. भण्डार रजिस्टर तैयार न करना।
7. वही खाते तैयार न करना।

17 प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार

प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

18 **लघु आपति विवरणिका :-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी -2 आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया I

19 **निष्कर्ष :-**लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(6)41/2017 खण्ड–1–2250–2253 दिनांक 02.04.2018 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड भोरन्ज, जिला हमीरपुर हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत भुक्कड़, विकास खण्ड भोरन्ज, जिला हमीरपुर हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881